रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ मंगलवार, 21 अक्तूबर, 1975
आश्विन 29, 1897 शक् सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग-1

संख्या 4393/सत्रह-वि-1-44-1971
लखनऊ, 21 अक्तूबर, 1975

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश साधारण खंड (संशोधन) विधेयक, 1975 पर दिनांक 15 अक्तूबर, 1975 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 54, 1975 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड (संशोधन) अधिनियम, 1975

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 54, 1975)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

संयुक्त प्रान्त साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड (संशोधन) अधिनियम, 1975 कहलायेगा।

संयुक्त प्रांत अधिनियम संख्या 1, 1904 के दीर्घ शीर्षक, प्रस्तावना तथा धारा 1 का संशोधन

2—संयुक्त प्रान्त साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 के (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) दीर्घ शीर्षक, प्रस्तावना तथा धारा 1 की उपधारा (1) में, जहां कहीं भी शब्द "संयुक्त प्रान्त" आए हों, उनके स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश" रख दिये जायें।

धारा 2 का निकाला जाना

3—मूल अधिनियम की धारा 2 निकाल दी जाय।

धारा 3 के स्थान पर नयी धारा का रखा जाना

4—मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"3—(1) इस अधिनियम के उपबन्ध इस अधिनियम और समस्त उत्तर प्रदेश अधिनियमों पर लागू होंगे चाहे वे इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात बनाये गये हों।

अधिनियम का अन्य अधिनियमितियों पर लागू होना

(2) किसी अधिनियमिति अथवा परिनियत संलेख पर अपने लागू होने के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्ध उस अधिनियमिति या संलेख के जिसका निर्वचन किया जाना हो, प्रसंग की किन्हीं प्रतिकूल अपेक्षाओं के अधीन होंगे ।" ।

धारा 4 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 4 में,—

(1) खण्ड (4) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"(4-क) 'कृषि वर्ष' का तात्पर्य जुलाई के प्रथम दिन को आरम्भ होने वाले वर्ष से होगा ;";

(2) खण्ड (7) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायं, अर्थात्:—

"(7-क) 'केन्द्रीय अधिनियम' का वही अर्थ होगा जो साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 में है;

(7-ख) 'केन्द्रीय सरकार' का वही अर्थ होगा जो साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 में है;";

(3) खण्ड (8) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"(8-क) 'खण्ड' का तात्पर्य ऐसी धारा या उपधारा के जिसमें वह शब्द आये, अन्तर्विभाजन से (जो उपधारा न हो) होगा ;";

(4) खण्ड (11) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायं, अर्थात्:—

"(11-क) 'संविधान' का तात्पर्य भारत के संविधान से होगा;

(11-ख) 'पुत्री' के अन्तर्गत, किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जिस पर लागू विधि पुत्री का दत्तक ग्रहण अनुज्ञात करती हो, दत्तक पुत्री भी आयेगी;

(11-ग) 'दिन' का तात्पर्य अर्द्धरात्रि से प्रारम्भ होने वाली चौबीस घंटों की अवधि से होगा; ";

(5) खण्ड (12) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, और सदैव से बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात्:—

"(12-क) 'जिला मजिस्ट्रेट' का तात्पर्य दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन इस रूप में नियुक्त व्यक्ति से होगा, और उसके अन्तर्गत किसी जिले का उप आयुक्त भी होगा;";

(6) खण्ड (18) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायं, अर्थात्:—

"(19) 'माल' के अन्तर्गत सभी सामग्री, वस्तुएं तथा पदार्थ भी आयेंगे और विद्युत् भी आयेगी;

(19-क) 'सरकार' के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार तथा कोई राज्य सरकार आयेगी;

(19-ख) 'सरकारी प्रतिभूतियों' का तात्पर्य केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों से होगा;

(19-ग) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से होगा,",

(7) खण्ड (20) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"(21) 'उच्च न्यायालय' या 'उच्च न्यायालय, इलाहाबाद' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय से होगा;";

(8) खण्ड (24) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"(24-क) 'विधिक प्रतिनिधि' का वही अर्थ होगा जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में है ;";

(9) खण्ड (25) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायं, अर्थात्:—

"(25) 'स्थानीय प्राधिकारी' का तात्पर्य किसी म्युनिसिपल बोर्ड या नगर पालिका, नगर महापालिका, नोटीफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, जिला परिषद् कैन्टूनमेंट बोर्ड, क्षेत्र समिति, गांव सभा या किसी अन्य ऐसे प्राधिकारी से जो स्थानीय स्वायत्त शासन अथवा गांव प्रशासन के प्रयोजनार्थ संघटित किया गया हो या जो किसी नगरपालिका या स्थानीय निधि का नियंत्रण या प्रबन्ध करने के लिये बंध रूप से हकदार हो या जिसे उसका नियंत्रण या प्रबन्ध राज्य सरकार द्वारा सौंपा गया हो, होगा ;

(26) 'स्थानीय निधि' का तात्पर्य ऐसे राजस्व से होगा जिसका प्रबन्ध ऐसे निकाय द्वारा किया जाता हो जिस पर चाहे सामान्यतया कार्यवाहियों के, या विशिष्ट विषयों जैसे अपना बजट स्वीकृत करने, विशिष्ट पदों के सृजित करने या उन्हें भरने की स्वीकृति

देने, छुट्टी के, पेंशन के या अन्य नियमों, विनियमों या उपविधियों को बनाने के सम्बन्ध में विधि या विधिसम प्रभावी नियम द्वारा, राज्य सरकार का नियंत्रण हो, और इसके अन्तर्गत किसी ऐसे अन्य निकाय का राजस्व भी होगा जिसे राज्य सरकार द्वारा इस रूप में विशिष्टतया अधिसूचित किया जाय ;";

(10) खण्ड (28) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"(28-क) 'माता' के अन्तर्गत किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जिस पर लागू विधि दत्तक ग्रहण अनुज्ञात करती हो, दत्तक माता भी आयेगी ;";

(11) खण्ड (29) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"(29-क) 'अधिसूचना' या 'सार्वजनिक अधिसूचना' का तात्पर्य राज्य के गजट में प्रकाशित अधिसूचना से होगा, और शब्द 'अधिसूचित' का तद्नुसार अर्थ लगाया जायगा ;";

(12) खण्ड (33) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायं, अर्थात्:—

"(33-क) 'विहित' का तात्पर्य उस अधिनियम के अधीन जिसमें वह शब्द आया हो, बनाये गये नियमों द्वारा विहित से होगा ;

(33-ख) 'जनता' के अन्तर्गत जनता का कोई वर्ग या प्रवर्ग भी आयेगा,";

(13) खण्ड (39) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायं, अर्थात् —

"(39) 'अनुसूचित बैंक' का तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित बैंक से होगा;

(39-क) 'अनुसूचित जातियों' तथा 'अनुसूचित जन-जातियों' के क्रमशः वे ही अर्थ होंगे जो संविधान में हैं;" ;

(14) खण्ड (42) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायं, अर्थात्:—

"(42) 'पुत्र' के अन्तर्गत किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जिस पर लागू विधि दत्तक ग्रहण अनुज्ञात करती हो, दत्तक पुत्र भी आयेगा;

(42-क) 'राज्य' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से होगा, और संविधान के प्रारम्भ होने के पूर्व की किसी अवधि के सम्बन्ध में, उसके अन्तर्गत यूनाइटेड प्राविन्सेज भी आयेगा;

(42-ख) 'परिनियत संलेख' का तात्पर्य किसी ऐसी अधिसूचना, आदेश, स्कीम, नियम या उप-विधि से है जो किसी अधिनियमिति के अधीन जारी की गयी हो और विधि का बल रखती हो;

(42-ग) 'राज्य सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से होगा और संविधान के अनुच्छेद 258-क के अधीन केन्द्रीय सरकार को सौंपे गये कृत्यों के सम्बन्ध में उसके अन्तर्गत उक्त अनुच्छेद के अधीन केन्द्रीय सरकार को दिये गये प्राधिकार के विस्तार के भीतर कार्यरत केन्द्रीय सरकार भी आयेगी;";

(15) खण्ड (44) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"(44-क) 'अस्थायी अधिनियम' का तात्पर्य ऐसे अधिनियम से होगा जिसे किसी विशिष्ट अवधि की समाप्ति पर या कोई विशिष्ट घटना होने पर या किसी विशिष्ट दिन को, प्रभावी या प्रवर्तनीय नहीं रह जाना है;";

(16) खण्ड (45) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(45) 'उत्तर प्रदेश' का तात्पर्य संविधान के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र में तत्समय समाविष्ट समस्त राज्य क्षेत्रों से होगा;";

(17) खण्ड (46) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(46) 'उत्तर प्रदेश अधिनियम' का तात्पर्य,—

(क) संविधान के प्रारम्भ के पूर्व बनायी गयी किसी विधि के सम्बन्ध में, ऐसे अधिनियम से होगा जो इंडियन कौंसिल्स ऐक्ट्स, 1861 के या इंडियन कौंसिल्स ऐक्ट्स, 1861 और 1892 के या इंडियन कौंसिल्स ऐक्ट्स 1861 से 1909 तक के या गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, 1915 के अधीन नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज और अवध (या आगरा और अवध के संयुक्त प्रान्त) के लेफ्टीनेंट गवर्नर-इन-कौंसिल द्वारा, या गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ऐक्ट के अधीन संयुक्त प्रान्त के स्थानीय विधान मण्डल या गवर्नर द्वारा या गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ऐक्ट, 1935 के अधीन संयुक्त प्रान्त के प्रान्तीय विधान मण्डल या गवर्नर द्वारा बनाया गया हो; और

(ख) संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् बनायी गई किसी विधि के सम्बन्ध में, ऐसे अधिनियम से होगा जो राज्य विधान मंडल द्वारा पारित किया गया हो, और उसके अन्तर्गत राष्ट्रपति या संविधान के अनुच्छेद 357 के खंड (1) के उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा राज्य विधान मंडल की शक्तियों का प्रयोग करके बनायी गयी कोई विधि भी आयेगी ;" ;

(18) खण्ड (59) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायं, अर्थात्:—

"(51) किसी केन्द्रीय अधिनियम के प्रति किसी निर्देश का ऐसे अर्थ लगाया जायगा मानों वह उत्तर प्रदेश में लागू होने के सम्बन्ध में, समय-समय पर यथासंशोधित उस अधिनियम के प्रति निर्देश हो, और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की दशा में ऐसे अर्थ लगाया जायगा मानो वह उच्च न्यायालय द्वारा, उस संहिता की धारा 122 के अधीन प्रथम अनुसूची में अन्तर्विष्ट नियमों में समय-समय पर किये गये किन्हीं अभिशून्यनों, परिवर्तनों तथा परिवर्द्धनों के भी अधीन रहते हुए उस संहिता के प्रति निर्देश हो ;

(52) किसी राजस्व डिवीजन, जिला या परगना, अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर के किसी स्थानीय क्षेत्र के प्रति किसी निर्देश का ऐसे अर्थ लगाया जायगा मानों वह ऐसे राजस्व डिवीजन, जिला या परगना अथवा स्थानीय क्षेत्र की समय-समय पर यथा परिवर्तित सीमाओं सहित उसके प्रति निर्देश हों ;

(53) जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश या मुंसिफ के प्रति किसी निर्देश का ऐसा अर्थ लगाया जायगा मानों उसके अन्तर्गत, यथास्थिति, किसी ऐसे अपर जिला न्यायाधीश, अपर सिविल न्यायाधीश या अपर मुंसिफ के प्रति निर्देश भी हैं जिसे उस जिला न्यायाधीश द्वारा (जिसके अधीनस्थ ऐसा अधिकारी प्रशासकीय रूप से हो) कोई मामला निपटाने के लिए समनुदेशित किया जाय।"

नयी धारा 4-क का बढ़ाया जाना

6—मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"4-क—प्रत्येक उत्तर प्रदेश अधिनियम में जब कोई शब्द परिभाषित हो तो—

व्याकरणिक रूप-भेद और सजातीय पद

(क) वह परिभाषा तब तक लागू होगी जब तक कि अधिनियम के प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(ख) उस शब्द के व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय पदों के तदनुरूप अर्थ होंगे।"।

नयी धारा 6-क, 6-ख और 6-ग का बढ़ाया जाना

7—मूल अधिनियम की धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायं, अर्थात्:—

"6-क—किसी अस्थायी उत्तर प्रदेश अधिनियम का ऐसे अर्थ लगाया जायगा मानों वह ठीक उस दिन की समाप्ति पर जिसको वह अवसित हो, प्रवर्तन में नहीं रह गया है।

अस्थायी अधिनियमों के अवसान का समय

6-ख—जहां कि किसी अस्थायी उत्तर प्रदेश अधिनियम का अवसान हो जाय वहां उस पर धारा 6 और 24 के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे कि जिस प्रकार कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसित किये जाने पर लागू होते हैं।

अवसान का प्रभाव

6-ग—(1) उपधारा (2) में जैसा उपबंधित है, उसके सिवाय, जहां कि कोई उत्तर प्रदेश अधिनियम किसी विषय के अभिव्यक्त लोप, अन्तः स्थापन या प्रतिस्थापन द्वारा किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम या विनियम का पाठ संशोधित करता है, और तत्पश्चात् संशोधन अधिनियमिति को निरसित कर दिया जाता है, वहां ऐसे निरसन से, किसी ऐसे संशोधन के जो इस प्रकार निरसित अधिनियमिति द्वारा किया गया हो और ऐसे निरसन के समय प्रवर्तन में हो, जारी रहने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अन्य विधियों में पाठीय संशोधन करने वाली विधि का निरसन अथवा अवसान

(2) जहां कि पाठ का ऐसा संशोधन किसी अस्थायी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा या किसी अध्यादेश द्वारा अथवा राष्ट्रपति या संविधान के अनुच्छेद 357 के खंड (1) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा राज्य विधान मंडल की शक्तियों का प्रयोग करके बनायी गयी किसी विधि द्वारा किया जाय, और ऐसा अधिनियम, अध्यादेश या अन्य विधि (परिष्कार सहित अथवा बिना परिष्कार के) पुनः अधिनियमित हुए बिना प्रवर्तन में न रह जाय, वहां तद्द्वारा पाठ में किया गया ऐसा संशोधन भी प्रवर्तन में न रह जायगा।"

धारा 8 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 8 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जाय, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(2) जहां कि किसी अधिनियमिति का संक्षिप्त नाम किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा संशोधित किया जाता है वहां किसी अन्य अधिनियमिति में उस अधिनियमिति के पुराने संक्षिप्त नाम के प्रति निर्देश का ऐसे अर्थ लगाया जायगा मानो वह उस अधिनियमिति के नये संक्षिप्त नाम के प्रति निर्देश हो।"

9—मूल अधिनियम की धारा 10 के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारायें बढ़ा दी जायं, अर्थात्:— नयी धारा 10-क, 10-ख और 10-ग का बढ़ाया जाना

"10-क—उत्तर प्रदेश अधिनियम के किसी उपबन्ध की पार्श्व टिप्पणियों और किसी ऐसे उपबन्ध के सामने किसी पूर्ववर्ती अधिनियमिति की संख्या और वर्ष के प्रति निर्देश के बारे में यह समझा जायगा कि वे केवल निर्देश की सुविधा के लिये रखे गये हैं और वे अधिनियम का भाग नहीं होंगे।

पार्श्व टिप्पणियों का अधिनियम का भाग न होना

10-ख—जहां कि कोई उत्तर प्रदेश अधिनियम किसी भी प्रकार के शब्दों द्वारा कोई निगमित निकाय संघटित करता है, वहां उस निगमित निकाय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और वह अपने निगमित नाम से संविदा कर सकेगा और वह, चाहे जंगम या स्थावर सम्पत्ति अर्जित कर सकेगा, धारण कर सकेगा और उसका निस्तारण कर सकेगा और अपने निगमित नाम से वह वाद ला सकेगा या उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा।

निगमन का प्रभाव

10-ग—जहां कि किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा कोई प्रपत्र विहित किया जाय, वहां उसमें किंचित रूप भेद जो सार पर प्रभाव न डालता हो या भुलावा देने के लिए प्रकल्पित न हो, उसे अविधिमान्य न बनायेगा।"

प्रपत्र में रूप भेद

10—मूल अधिनियम की धारा 14 में शब्द "राज्य सरकार को" निकाल दिये जायं। धारा 14 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 16 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:— धारा 16 के स्थान पर नयी धारा का रखा जाना

"16—जहां कि किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा, कोई नियुक्ति करने की शक्ति प्रदत्त हो वहां, जब तक कि भिन्न आशय प्रतीत न हो, उस प्राधिकारी को जिसे नियुक्ति करने की तत्समय शक्ति हो यह शक्ति भी होगी कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उक्त शक्ति के प्रयोग में उसके द्वारा या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया हो, निलम्बित कर सके, पदच्युत कर सके, हटा सके या अन्यथा उसकी पदावधि समाप्त कर सके।"

नियुक्ति करने की शक्ति के अन्तर्गत निलम्बित करने, पदच्युत करने या अन्यथा पदावधि समाप्त करने की शक्ति का होना।

12—मूल अधिनियम की धारा 19 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाये, अर्थात्:— नयी धारा 19-क का बढ़ाया जाना

"19-क—जहां कि किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा किसी व्यक्ति, अधिकारी या कृत्यकारी को किसी कार्य या बात को करने या उसके किये जाने को प्रवृत्त करने के लिए कोई शक्ति दी जाय वहां यह समझा जायगा कि ऐसी समस्त शक्तियां भी दी गयी हैं जो ऐसे कार्य या बात को करने या उसके किये जाने को प्रवृत्त करने के लिए उस व्यक्ति, अधिकारी या कृत्यकारी को समर्थ बनाने के लिये आवश्यक हों।"

आनुषंगिक शक्तियां

13—मूल अधिनियम की धारा 20 के ऊपर आये हुए शीर्षक में शब्द "किये गये आदेशों या बनाये गये नियमों आदि" के स्थान पर शब्द "जारी किये गये परिनियत संलेखों" रख दिये जायं। धारा 20 के ऊपर आये हुए शीर्षक का संशोधन

14—मूल अधिनियम की धारा 20 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जाय और— धारा 20 का संशोधन

(क) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) में "शब्द अधिसूचना, आदेश, स्कीम, नियम, प्रपत्र या उपविधि" जहां कहीं आये हैं उनके स्थान पर शब्द "परिनियत संलेख" रख दिये जायं;

(ख) उक्त उप-धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(2) धारा 4, 4-क, 6, 6-क, 6-ख, 7, 8, 9, 10, 10-क, 10-ग, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19-क और 28 के उपबन्ध किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन जारी किये गये किसी परिनियत संलेख के संबंध में, आवश्यक परिवर्तनों सहित, वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के संबंध में लागू होते हैं।"

15—मूल अधिनियम की धारा 21 में शब्द "अधिसूचनाओं, आदेशों, नियमों या उप-विधियों" के स्थान पर शब्द "परिनियत संलेखों" तथा शब्द "जारी की गयी किन्हीं अधिसूचनाओं, आदेशों, नियमों या उपविधियों" के स्थान पर शब्द "जारी किये गये परिनियत संलेखों" रख दिये जायं। धारा 21 का संशोधन

धारा 22 का संशोधन

16—मूल अधिनियम की धारा 22 में शब्द "नियम या उपविधियां बनाने या आदेश या अधिसूचनायें जारी करने" के स्थान पर शब्द "परिनियत संलेख जारी करने" तथा शब्द "इस प्रकार बनाये गये नियम या उपविधियां या जारी किये गये आदेश या जारी की गई अधिसूचनायें तब तक प्रभावशील नहीं होंगी" के स्थान पर शब्द "इस प्रकार जारी किये गये परिनियत संलेख तब तक प्रभावशील न होंगे" रख दिये जायं।

धारा 23 का संशोधन

17—मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 23 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जाय और उसके खंड (1), (2), (3), (4) और (5) क्रमशः खंड (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिये जायें और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायं, अर्थात्—

"(2) उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट दिनांक प्रस्थापित नियमों या उपविधियों का प्रारूप उस उपधारा के खंड (क) के अधीन प्रकाशित किये जाने के दिनांक से एक मास की अवधि के अवसान के दिन से पूर्व का दिनांक न होगा।

(3) उपधारा (1) और (2) के उपबन्धों के होते हुए भी, जहां कि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उसे तात्कालिक प्रभाव देते हुए या एक मास की अवधि के पूर्व के दिनांक से नियम या उप-विधियां बनाना आवश्यक है तो वह कोई ऐसे नियम या उप-विधियां यथास्थिति, पूर्व प्रकाशन के बिना बना सकेगी या, उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट दिनांक प्रस्थापित नियमों या उपविधियों के प्रारूप के प्रकाशन के दिनांक से एक मास की अवधि के अवसान के दिन से पूर्व का नियत कर सकेगी।"

नई धारा 23-क का बढ़ाया जाना

18—मूल अधिनियम की धारा 23 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"23-क—(1) किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर कम से कम तीस दिन की अवधि के लिये जो उसके एक सत्र में या दो या अधिक क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई पश्चात्वर्ती दिनांक नियत न किया जाय, गजट में अपने प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हो जाये किन्तु इस प्रकार कि कोई ऐसा परिष्कार या अभिशून्यन तद्धीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

(2) जहां कि कोई केंद्रीय अधिनियम, जो उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त या लागू हो और ऐसे विषयों से संबंधित हो जिसके संबंध में राज्य विधान मंडल को उत्तर प्रदेश के लिए विधियां बनाने की शक्ति है, राज्य सरकार को तद्धीन नियम बनाने की शक्ति प्रदत्त करता है, वहां ऐसे अधिनियम में तत्प्रतिकूल किसी अभिव्यक्त उपबन्ध के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) के उपबन्ध, राज्य सरकार द्वारा उक्त शक्ति का प्रयोग करके बनाये गये नियमों पर, आवश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।"।

धारा 24 का संशोधन

19—मूल अधिनियम की धारा 24 में शब्द "जारी की गई कोई अधिसूचना, किया गया कोई आदेश, बनाई गई कोई स्कीम, बनाया गया कोई नियम या प्रपत्र या बनाई गई कोई उप-विधि, जहां तक कि वह पुनः अधिनियमित उपबन्धों से असंगत न हो, प्रवृत्त बनी रहेगी तथा यदि और जब तक कि उसे इस प्रकार पुनः अधिनियमित उपबन्धों के अधीन की गयी किसी नियुक्ति, जारी की गयी किसी अधिसूचना, किये गये किसी आदेश, बनाई गई स्कीम, बनाये गये किसी नियम या प्रपत्र या बनाई गई किसी उपविधि द्वारा अतिष्ठित न कर दिया जाय, उसे इस प्रकार पुनः अधिनियमित उपबन्धों के अधीन किया गया, जारी किया गया या बनाया गया समझा जायगा" के स्थान पर शब्द "या जारी किया कोई परिनियत संलेख या बनाया गया कोई प्रपत्र जहां तक कि वह पुनः अधिनियमित उपबन्धों से असंगत न हो, प्रवृत्त बना रहेगा तथा यदि और जब तक कि उसे इस प्रकार पुनः अधिनियमित उपबन्धों के अधीन की गयी किसी नियुक्ति अथवा जारी किये गये किसी परिनियत संलेख या बनाये गये किसी प्रपत्र द्वारा अतिष्ठित न कर लिया जाय, उसे इस प्रकार पुनः अधिनियमित उपबन्धों के अधीन किया गया या जारी किया गया या बनाया गया समझा जायेगा" रख दिये जायं।

धारा 29 का संशोधन

20—मूल अधिनियम की धारा 29 में शब्द "किये गये प्रत्येक आदेश, बनाई गई प्रत्येक स्कीम, बनाये गये प्रत्येक नियम, बनाई गई प्रत्येक उप विधि, जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना" के स्थान पर शब्द "या जारी किये गये प्रत्येक परिनियत संलेख" रख दिये जावें।

अनुसूची का निकाला जाना

21—मूल अधिनियम की अनुसूची निकाल दी जाय।

No. 4393(2) XVII-V-1—44-71

Dated Lucknow, October 21, 1975

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sadharan Khand (Sanshodhan) Adhiniyam, 1975 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 54 of 1975), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on October 15, 1975,

THE UTTAR PRADESH GENERAL CLAUSES (AMENDMENT) ACT, 1975

(U. P. Act no. 54, 1975)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

to amend the United Provinces General Clauses Act, 1904.

It is hereby enacted in the Twenty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh General Clauses (Amendment) Act, 1975.

Amendment of the long title, preamble and section 1 of U. P. Act, I of 1904.

2. In the long title, preamble and sub-section (1) of section 1 of the United Provinces General Clauses Act, 1904 (hereinafter referred to as the principal Act), *for* the words 'United Provinces', wherever occurring, the words 'Uttar Pradesh' shall be *substituted.*

Omission of section 2.

3. Section 2 of the principal Act shall be *omitted.*

Substitution of new section for section 3.

4. *For* section 3 of the principal Act, the following section shall be *substituted,* namely :—

Application of the Act to other enactment.

"3. (1) The provisions of this Act shall apply to this Act and to all Uttar Pradesh Acts, whether made before or after the commencement of this Act.

(2) The provisions of this Act in their application to any enactment or statutory instrument shall be subject to any contrary requirements of the context of the enactment or instrument that is to be interpreted."

Amendment of section 4.

5. In section 4 of the principal Act—

(i) *after* clause (4), the following clause shall be *inserted,* namely :—

"(4-A) 'agricultural year' shall mean the year commencing on the first day of July ;" ;

(ii) *after* clause (7), the following clauses shall be *inserted,* namely :—

"(7-A) 'Central Act' shall have the same meaning as in the General Clauses Act, 1897 ;

(7-B) 'Central Government' shall have the same meaning as in the General Clauses Act, 1897 ;" ;

(iii) *after* clause (8), the following clause shall be *inserted,* namely :—

"(8-A) 'clause' shall mean a sub-division (not being a sub-section) of the section or sub-section in which the word occurs ;" ;

(iv) *after* clause (11), the following clauses shall be *inserted,* namely :—

"(11-A) 'Constitution' shall mean the Constitution of India ;

(11-B) 'daughter', in the case of any person the law applicable to whom permits the adoption of a daughter, shall include an adopted daughter ;

(11-C) 'day' shall mean a period of twenty-four hours beginning at midnight ;" ;

(v) *after* clause (12), the following clause shall be *inserted* and be deemed always to have been *inserted,* namely :—

"(12-A) 'District Magistrate' shall mean a person appointed as such under sub-section (1) of section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973 and shall include the Deputy Commissioner of a District ;" ;

(vi) *after* clause (18), the following clauses shall be *inserted*, namely :—

"(19) 'goods' shall include all materials, commodities and articles, and shall also include electricity ;

(19-A) 'Government' shall include the Central Government and any State Government ;

(19-B) 'Government securities' shall mean securities of the Central Government or of any State Government ;

(19-C) 'the Governor' shall mean the Governor of Uttar Pradesh ;" ;

(vii) *after* clause (20), the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(21) 'the High Court' or 'the High Court of Judicature at Allahabad' shall mean the High Court for Uttar Pradesh ;" ;

(viii) *after* clause (24), the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(24-A) 'legal representative' shall have the same meaning as in the Code of Civil Procedure, 1908 ;" ;

(ix) *for* clause (25), the following clauses shall be *substituted*, namely :—

"(25) 'local authority' shall mean a municipal board or nagar-palika, nagar mahapalika, notified area committee, town area committee, zila parishad, cantonment board, kshettra samiti, gaon sabha or any other authority constituted for the purpose of local self-government or village administration or legally entitled to or entrusted by the State Government with the control or management of municipal or local fund ;

(26) 'local fund' shall mean revenues administered by a body which by law or rule having the force of law is controlled by the State Government, whether in regard to the proceedings generally or to specific matters such as the sanctioning of its budget, sanction to the creation or filling up of particular posts, the making of leave, pension or other rules, regulations or bye-laws, and shall include the revenues [or] of any other body which may be specifically notified by the State Government as such ;" ;

(x) *after* clause (28), the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(28-A) 'mother', in the case of any person the law applicable to whom permits adoption, shall include an adoptive mother ;" ;

(xi) *after* clause (29), the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(29-A) 'notification' or 'public notification' shall mean a notification published in the *Gazette* of the State, and the word 'notified' shall be construed accordingly ;" ;

(xii) *after* clause (33), the following clauses shall be *inserted*, namely :—

"(33-A) 'prescribed' shall mean prescribed by rules made under the Act in which the word occurs ;

(33-B) 'public' shall include any class or section of the public ;" ;

(xiii) *for* clause (39), the following clauses shall be *substituted*, namely :—

"(39) 'scheduled bank' shall mean a bank included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 ;

(39-A) 'Scheduled Castes', and 'Scheduled Tribes' shall have the same meanings respectively as in the Constitution ;" ;

(xiv) *for* clause (42), the following clauses shall be *substituted*, namely :—

"(42) 'son' in the case of any one the law applicable to whom permits adoption, shall include an adopted son ;

(42-A) 'the State' shall mean the State of Uttar Pradesh, and as respects any period before the commencement of the Constitution, shall include the United Provinces :

(42-B) 'statutory instrument' shall mean any notification, order, scheme, rule, or bye-law issued under any enactment and having the force of law ;

(42-C) 'the State Government' shall mean the Government of Uttar Pradesh, and as respects functions entrusted under Article 258-A of the Constitution to the Central Government shall include the Central Government acting within the scope of the authority given to it under that Article ;" ;

(xv) *after* clause (44), the following clause shall be *inserted*, namely:—

"(44-A) 'temporary Act' shall mean an Act which is to cease to have effect or cease to operate on the expiration of a particular period or on the happening of a particular event or on a particular day ;" ;

(xvi) *for* clause (45), the following clause shall be *substituted*, namely :—

"(45) 'Uttar Pradesh' shall mean all territories for the time being comprised in the territory of Uttar Pradesh under the Constitution ;" ;

(xvii) *for* clause (46), the following clause shall be *substituted*, namely :

"(46) 'Uttar Pradesh Act' shall mean—

(*a*) as respects any law made before the commencement of the Constitution, an Act made by the Lieutenant Governor of the North-Western Provinces and Oudh (or of the United Provinces of Agra and Oudh) in Council under the Indian Councils Act, 1861, or the Indian Councils Act, 1861 and 1892 or the Indian Councils Acts, 1861 to 1909, or the Government of India Act, 1915, or by the local Legislature or the Governor of the United Provinces under the Government of India Act, or by the Provincial Legislature or the Governor of the United Provinces under the Government of India Act, 1935 ; and

(*b*) as respects any law made after the commencement of the Constitution, an Act passed by the State Legislature, and shall include any law made in exercise of the powers of the State Legislature by the President or other authority referred to in sub-clause (*a*) of clause (1) of Article 357 of the Constitution ;" ;

(xviii) *after* clause (50), the following clauses shall be *inserted*, namely :—

"(51) any reference to a Central Act shall be construed as a reference to that Act as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh and in the case of the Code of Civil Procedure, 1908, as a reference to that Code subject also to any annulments, alterations and additions to the rules contained in the First Schedule thereto made from time to time under section 122 thereof by the High Court ;

(52) any reference to a revenue division, district or sub-division, or to a local area under the jurisdiction of a local authority, shall be construed as a reference to such revenue division, district or sub-division or to such local area with its limits as altered from time time ;

(53) any reference to the district judge, civil judge or munsif shall be construed as including a reference to an additional district judge, an additional civil judge or, as the case may be, an additional munsif to whom a case is assigned by the district judge (to whom such officer is administratively subordinate) for disposal."

Addition of new section 4-A.

6. *After* section 4 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

"4-A. In every Uttar Pradesh Act, when a word is defined—

Grammatical variations and cognate expressions.

(*a*) the definition shall apply unless to context of the Act otherwise require ;

(*b*) grammatical variations of that word and cognate expression shall have corresponding meanings."

Addition of new sections 6-A, 6-B, and 6-C.

7. *After* section 6 of the principal Act, the following sections shall be *inserted*, namely :—

"6-A. A temporary Uttar Pradesh Act, shall be construed as ceasing to operate immediately at the end of the day on which it expires.

Time of expiration of temporary Acts.

6-B. Where a temporary Uttar Pradesh Act, expires the provisions of sections 6 and 24 shall apply to it as they apply to the repeal of an enactment by an Uttar Pradesh Act.

Effect of expiration.

6-C. (1) Except as provided by sub-section (2) where any Uttar Pradesh Act amends the text of any Uttar Pradesh Act or Regulation by the express omission, insertion or substitution of any matter, and the amending enactment is subsequently repealed, the repeal shall not affect the continuance of any such amendment made by the enactment so repealed and in operation at the time of such repeal.

Repeal or expiration of law making textual amendments in other laws.

(2) Where any such amendment of text is made by any temporary Uttar Pradesh Act or by an Ordinance or by any law made in exercise of the power of the State Legislature by the President or other authority referred to in sub-clause (*a*) of clause (1) of Article 357 of the Constitution, and such Act, Ordinance or other law ceases to operate without being re-enacted (with or without modifications) the amendment of text made thereby shall also cease to operate."

Amendment of section 8.

8. The existing section 8 of the principal Act shall be *re-numbered* as sub-section (1) thereof, and *after* sub-section (1) as so re-numbered, the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(2) Where the short title of any enactment is amended by an Uttar Pradesh Act, then, references to that enactment by its old short title in any other enactment shall be construed as references to that enactment by its new short title."

Insertion of new sections 10-A, 10-B and 10-C.

9. *After* section 10 of the principal Act, the following sections shall be *inserted*, namely :—

"10-A. Marginal notes to any provisions of an Uttar Pradesh Act and the reference to the number and year of any former enactment against any such provision shall be deemed to have been inserted for convenience of reference only and shall not form part of the Act.

Marginal notes not part of Act.

10-B. Where any Uttar Pradesh Act constitutes a body corporate by any form of words, that body corporate shall have perpetual succession and a common seal and may enter into contract by its corporate name, acquire, hold and disposed of property, whether movable or immovable, and sue or be sued by its corporate name.

Effect of incorporation.

10-C. Where, by any Uttar Pradesh Act, a form is prescribed, slight deviations therefrom not affecting the substance or calculated to mislead, shall not invalidate it.".

Deviations from forms.

Amendment of section 14.

10. In section 14 of the principal Act, the words "on the State Government" shall be *omitted*.

Substitution of new section for section 16.

11. *For* section 16 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :—

"16. Where, by any Uttar Pradesh Act, a power to make any appointment is conferred then, unless a different intention appears, the authority having for the time being power to make the appointment shall also have the power to suspend, dismiss, remove or otherwise terminate the tenure of office of any person appointed, whether by itself or any other authority, in exercise of that power.".

Power to appoint to include power to suspend, dismiss or otherwise terminate the tenure of office.

12. *After* section 19 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :— Insertion of new section 19-A.

"19-A. Where by any Uttar Pradesh Act, a power is given to a person, officer or functionary to do or enforce the doing of any act or thing, all such powers shall be deemed also to be given as are necessary to enable that person, officer or functionary to do or enforce the doing of the act or thing." Ancillary powers.

13. In the heading occurring above section 20 of the principal Act, *for* the words "orders, rules, etc.", the words "statutory instruments" shall be *substituted*. Amendment of the heading occurring above section 20.

14. The existing section 20 of the principal Act shall be *re-numbered* as sub-section (1) thereof, and— Amendment of section 20.

(*a*) in sub-section (1) as so renumbered *for* the words "notification, order, scheme, rule, form or bye-law" wherever occurring, the words "statutory instruments" shall be *inserted*;

(*b*) *after* the said sub-section (1), the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(2) The provisions of sections 4, 4-A, 6, 6-A, 6-B, 7, 8, 9, 10, 10-A, 10-C, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19-A and 28 shall *mutatis mutandis* apply in relation to any statutory instrument issued under any Uttar Pradesh Act as they apply in relation to any Uttar Pradesh Act."

15. In section 21 of the principal Act, *for* the words "notifications, orders, rules or bye-laws", wherever occurring, the words "statutory instruments" shall be *substituted*. Amendment of section 21.

16. In section 22 of the principal Act, *for* the words "to make rules or bye-laws or to issue orders or notifications", the words "to issue statutory instruments" and *for* the words "rules, bye-laws, orders or notification so made or issued", the words "statutory instruments so issued" shall be *substituted*. Amendment of section 22.

17. The existing section 23 of the principal Act shall be *re-numbered* as sub-section (1) thereof and its clauses (1), (2), (3), (4) and (5) shall be *re-numbered* as clauses (*a*), (*b*), (*c*), (*d*) and (*e*) respectively, and *after* sub-section (1) as so *re-numbered* the following sub-sections shall be *inserted*, namely :— Amendment of section 23.

"(2) The date referred to in clause (*c*) of sub-section (1) shall not be a date earlier than the day of expiration of a period of one month from the date of publication of the draft of the proposed rules or bye-laws under clause (*a*) of that sub-section.

(3) Notwithstanding the provisions of sub-sections (1) and (2), where the State Government is satisfied that circumstances exist which render it necessary for it to make rules or bye-laws with immediate effect or with effect from a date earlier than a period of one month, it may make any such rules or bye-laws without previous publication or, as the case may be, fix a date referred to in clause (*c*) of sub-section (1) earlier than the day of expiration of a period of one month from the publication of the draft of the proposed rules or bye-laws."

18. *After* section 23 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :— Insertion of new section 23-A.

"23-A. (1) All rules made by the State Government under an Uttar Pradesh Act shall, as soon as may be after they are made, be laid before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of not less than thirty days, which may be comprised in one session or two or more successive sessions, and shall, unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the *Gazette* subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may, during the said period, agree to make, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder. Date of coming into effect of rules and the control of Legislature over them.

(2) Where any Central Act, in force in or applicable to Uttar Pradesh and relating to matters with respect to which the State Legislature has power to make laws for Uttar Pradesh, confers power on the State Government to make rules thereunder, then subject to any express provisions to the contrary in such Act, the provisions of sub-section (1) shall *mutatis mutandis* apply to the rules made by the State Government in exercise of that power.".

Amendment of section 24.

19. In section 24 of the principal Act, *for* the words "notification, order scheme, rule, form or bye-law", wherever occurring, the words "or statutory instrument or form" shall be *substituted.*

Amendment of section 29.

20. In section 29 of the principal Act, *for* the words "order, scheme, rule, bye-law, notification [or form]" the words "or statutory instrument" shall be *substituted.*

Omission of Schedule

21. The Schedule to the principal Act shall be *omitted.*

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव ।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 315 सा० (विधा०)—1975—1,000 (मे०) ।